



न्यायालय :— माननीय राजसव मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. / 2015 निगरानी

निगरानी 2268-PBR-15

तिथि २०/७/१५
२०१०/७/१५

मुद्रा २०१५

श्रीमती कमला पत्नी रामजीलाल निवासी
कटरा मोहल्ला फैहरी जिला शिवपुरी तह.
निवास न्यू लॉक तह. व जिला शिवपुरी
.....आवेदिका

बनाम

1. म.प. शारान
2. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी हरनाम निवासी
जराजराजपुर हाल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी
तह. व जिला शिवपुरी
3. मुस. चंदनिया वेवा श्री तुलाराम नाम
निवासी ग्राम मोहना तह. घाटीगांव जिला
ग्वालियर
श्रीमती अंगूरी देवी फौत पत्नी श्याम सुना
वारिसान
4. लक्ष्मण } पुत्रगण श्यामसुन्दर
5. संजय }
6. राणी } पुत्रीगण श्यामसुन्दर
7. किरन } निवासीगण कटरा मोहल्ला तह
जिला शिवपुरी म.प्र.

४. पद्मवाना सिंह युजर जनकेन्द्र राजपुरा
ग्राम बैंकांडपुरा, पालना तह
जिला - फैहरी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मृ राजसव राहिता 1959
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी जिला
शिवपुरी म.प्र. के प्रक. 60/14-15/वी-121 में पारित
आदेश दिनांक 10.06.2015 के विरुद्ध निगरानी रामयावधि
में प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के तथ्य :-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
ग्राम सोनीपुरा तह. पोहरी जिला शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि के पात्र
तहसीलदार पोहरी द्वारा प्रकरण क. 145/84-85/अ-19(1) से आवेदिका
श्रीमती कमला पत्नी रामजीलाल को सर्वे क. 20/1 ग्राम सोनीपुरा नवीन सर्वे
क. 35/366 रकवा 0.07 हे. का पट्टा व्यवस्थापन विधिवत दिनांक 30.05.1985
को दिया गया।

3. यह कि, शिकायतकर्ता पहलवान सिंह पुत्र जनवेद सिंह गुर्जर निवासी ग्राम
सिकंदरपुरा एवं दूसरे शिकायतकर्ता वृजमोहन सिंह पुत्र श्री रतनलाल धाकड़
निवासी समरपुर तह. पोहरी जिला शिवपुरी द्वारा जो इन पट्टों के संबंध में को

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./2268/पीबीआर/2015

जिला शिवपुरी

श्री मती कमला विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
१५/६/१९	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना पोहरी, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 60/2014-15/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 10/6/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> 	<p>(आर0को जैन) १५/६/१९</p> <p>सदस्य</p>